प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1328/2017

राजेश लकारा पिता स्वर्गीय कार्लस लकारा, 47 वर्ष , निवासी व्यवसाय शिक्षक, गाँव सरैतोली, तहसील दुलदुला, जिला जशपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1 – डोमनिक केरकेट्टा पिता कामिल केरकेट्टा, 40 वर्ष की आयु में,

2 – श्रीमती. जसिंता केरकेट्टा पति श्री डोनामिक केरकेट्टा, आयु लगभग 38 वर्ष,

3 – कू.जोली केरकेट्टा, पिता श्री डोनामिक केरकेट्टा, आयु लगभग 18 वर्ष,

4–डयाना केरकेट्टा, पिता श्री डोनामिक केरकेट्टा, आयु लगभग 17 वर्ष,

5 – नाबालिग दीपू जिम्मी केरकेट्टा, पिता श्री डोनामिक केरकेट्टा, लगभग 14 वर्ष ,

6 – दीपेश ज्योति केरकेट्टा, नाबालिग पिता श्री डोनामिक केरकेट्टा, आयु 12 वर्ष

उत्तरवादी संख्या 4 से 6 अपने विधिक संरक्षक पिता डोमनिक केरकेट्टा के द्वारा

समस्त निवासी जामचुवा, तहसील कुंकुरी, जिला जशपुर छत्तीसगढ़ हैं। ---दावेदार

7 – मंजीत सिंह छावाड़ा, पिता स्वर्गीय संतोष सिंह छावाड़ा, लगभग 50 वर्ष, भागीदार मेसर्स छावाड़ा बस सर्विस, निवासी, गाँव नामनकला, अंबिकापुर, जिला सरगुजाछत्तीसगढ़। ---स्वामी

8 – मोहम्मद.आलम पिता मोहम्मदहयात, लगभग 55 वर्ष ,जाति मुसलमान, करबाला रोड, जशपुर नगर, तहसील तथा जिला जशपुर छत्तीसगढ़।---चालक

9 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थानीय शाखा कार्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़।..... बीमाकर्ता

--उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी हेतु :श्री शिखर शर्मा और सुश्री पुष्पलता खालखो, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 8 हेतु :श्री नसीमुद्दीन अंसारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 9 हेतु :श्री आर. एन. पस्टी, अधिवक्ता की ओर से श्री बलराज गुप्ता, अधिवक्ता

<u>के साथ</u>

<u>विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1315/2017</u>

राजेश लकारा पिता स्वर्गीय कार्लस लकारा, 47 वर्ष , निवासी व्यवसाय शिक्षक, गाँव सरैतोली, तहसील दुलदुला, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – जॉर्ज हेंडरी तिर्की पिता स्वर्गीय साइमन तिर्की, 42 वर्ष,
2–कुमारी अनामिका तिर्की पिता जॉर्ज हेंडरी तिर्की, आयु 19 वर्ष,

3 – अनवर तिर्की पिता जॉर्ज हेंडरी तिर्की, 18 वर्ष , निवासी समस्त सरैतोली, तहसील दुरदुला, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़

4 – मंजीत सिंह छावाड़ा पिता स्वर्गीय संतोष सिंह छावाड़ा, आयु लगभग 50 वर्ष एम/एस छावाड़ा बस सर्विस, ग्राम नामनकला, अंबिकापुर, निवासी सरगुजा, छत्तीसगढ़।

.....स्वामी

5 – मोहम्मद.आलम पिता मोहम्मदहयात, लगभग 55 वर्षीय जाति मुसलमान, करबाला रोड, जशपुर नगर, तहसील तथा जिला जशपुर,छत्तीसगढ़। ------चालक

6 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थानीय शाखा कार्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़। ----बीमाकर्ता

--उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री शिखर शर्मा और सुश्री पुष्पलता खालखो, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 6 हेतु :श्री आर. एन. पुस्टी, अधिवक्ता की ओर से श्री बलराज गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित

के साथ

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1329/2017

1 – राजेश लकारा पिता स्वर्गीय कार्लस लकारा, 47 वर्ष,

2 – श्रीमती.पुष्प लाकड़ा पति श्री राजेश लाकड़ा, आयु लगभग 46 वर्ष,

3–कु दीप तरुणा पिता श्री राजेश लकारा, आयु लगभग 21 वर्ष,

समस्त सरैतोली, तहसील दुलदुला, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं।

--- अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – मंजीत सिंह छावाड़ा पिता स्वर्गीय संतोष सिंह छावाड़ा, लगभग 50 वर्षीय भागीदार मेसर्स छावाड़ा बस पितावा, गाँव नामनकला, अम्बिकापुर, निवासी सरगुजा, छत्तीसगढ़।

2 – मोहम्मद.आलम पिता मोहम्मद।हयात , लगभग 55 वर्ष , जाति मुसलमान, करबाला रोड, जशपुर नगर, तहसील तथा जिला जशपुर, छत्तीसगढ़।

3 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थानीय शाखा कार्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

अपीलार्थी हेतु :श्री शिखर शर्मा और सुश्री पुष्पलता खालखो, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :सुश्री वर्शा शर्मा,

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :श्री नसीमुद्दीन अंसारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी सं. 3 हेतु :श्री आर. एन. पस्टी, अधिवक्ता की ओर से श्री बलराज गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित

माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

14/11/2024

1. चूंकि, सभी अपील एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन पर एक साथ सुनवाई और निर्णय किया जा रहा है।

2. अपीलार्थी/हीरो–होंडा मोटरसाइकिल के मालिक, जिसका पंजीयन क्रमांक सीजी–14–जेडई–0371 है, ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में '1988 का अधिनियम') की धारा 173 के तहत यह अपील दायर की है, जिसमें विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जशपुर, (छत्तीसगढ़) (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 34/2015, 33/2015 और 35/2015 में पारित दिनांक 03.05.2017 के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके आधार पर दावेदारों द्वारा दायर दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और जिसके भुगतान का 50% दायित्व वर्तमान अपीलार्थी– राजेश लकरा पर है।इसलिए, यह अपील अधिनिर्णय की 50% क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त करने के लिए है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दावा याचिका के अनुसार, 04/06/2015 को, मृतक डीन जस्टिन केरकेट्टा अपने साथी जोंकस केरकेट्टा और अतुल तिर्की के साथ हीरो–होंडा मोटरसाइकिल पर ग्राम सरईटोली से जशपुर जा रहे थे, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी–14–जेडई–0371 था।एनएच 43 पर, ग्राम कैकाछार और रामबांध के बीच, जशपुर से आ रही चावड़ा बस जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 15–एबी–0311 था, को उसके चालक/उत्तरवादी सं 8–मोहम्मद आलम ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।दुर्घटना का कारण बनने वाला वाहन उत्तरवादी – मंजीत सिंह चावड़ा का था, जिसे उत्तरवादी – मोहम्मद आलम चला रहा था और उत्तरवादी – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमाकृत था।

4. दावेदारों ने मृतक व्यक्तियों की मृत्यु के आधार पर प्रत्येक मामले में 29,25,000/– रुपये का कुल क्षतिपूर्ति मांगते हुए न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम 1988 की धारा 163–ए के तहत दावा याचिका दायर की।

5. उत्तरवादी– चालक और मालिक ने दावा आवेदन पर जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें किया गये तर्क को नकारते हुए व दिया गया है कि मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार थे और उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल के मालिक और बीमा कंपनी को पक्ष बनाए बिना प्रस्तुत किया, जो इस मामले में आवश्यक और हितबद्ध पक्ष हैं।आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। चूंकि घटनास्थल मोड़ और घाटी वाला था, इसलिए बस का चालक मोहम्मद आलम बस को धीमी गति से चला रहा था, लेकिन मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्ति नशे की हालत में तेज गति से यात्री बस को ओवरटेक कर आगे निकल गए और सामने से आ रहे वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह कहते हुए कि यात्री बस का दुर्घटना से कोई संबंध नहीं था।

6. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने दावेदारों के दावे का विरोध किया और कहा कि उक्त दुर्घटना सहभागी लापरवाही के अंतर्गत आती है।मामले में मोटरसाइकिल चालक, मालिक, बीमाकर्ता भी आवश्यक पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में मामला प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षकारों का असहयोग और कुसहयोग है। मोटरसाइकिल मालिक ने मोटरसाइकिल एक नाबालिग को चलाने के लिए दी है और वह अपने पीछे दो और नाबालिगों को बैठा रहा था। यदि कोई दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के लिए मोटरसाइकिल मालिक जिम्मेदार होगा। दावेदारों ने अनुरोध किया है कि दावों को खारिज किया जाए।

7. अपीलकर्ता–राजेश लकरा ने कहा है कि दुर्घटना की तारीख को वह अपनी सेवा के लिए स्कूल गया था और उसने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी ऊंचाई पर रखी थी।उनका पुत्र जोंकस लकड़ा अपने दोस्तों के साथ घर आया और अपने दोस्तों अतुल तिर्की और डीन जस्टिन केरकेट्टा के आग्रह पर उसने मोटरसाइकिल की चाबी ले ली और अपने दो दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल चलाकर जशपुर जा रहा था, तभी दुर्घटना हो गई। चूंकि दुर्घटना बस चालक मोहम्मद आलम की तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई और इसमें उसके बेटे की कोई गलती नहीं थी, इसलिए बस का चालक, मालिक और बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों की सराहना के आधार पर, न्यायाधिकरण ने आवेदनों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 2,85,000/– रुपये (एमएसी संख्या 1328/2017 और 1315/2017 में) और 2,75,000/– रुपये (एमएसी संख्या 1329/2017 में) का मुआवजा देने का आदेश दिया और अपीलकर्ता– राजेश लकरा पर प्रत्येक मामले में उक्त मुआवजे का 50% भुगतान करने का दायित्व तय किया, यह मानते हुए कि स्थिति यह थी कि मृतक– जोंकस लकरा बीमा के बिना और वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चला रहा था, वह एक नाबालिग बालक था जो विधिक रूप से गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं था, जबकि दावेदारों की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उदाहरणों में यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी स्थिति मौजूद थी। ऐसी स्थिति में, दावेदारों को कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं मिलता है।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित निर्णय विधि, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के विपरीत है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधिकरण को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखते हुए, अपीलकर्ता मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं है।अतः यह प्रार्थना की जाती है कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जशपुर (छ.ग.) द्वारा पारित दिनांक 03–05–2017 के आक्षेपित निर्णय को निरस्त किया जाए तथा न्याय के हित में अपीलकर्ता को दायित्व से मुक्त किया जाए।

10. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया तथा तर्क दिया कि मृतक अपीलकर्ता की मोटरसाइकिल चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा 1988 के अधिनियम की

धारा 163 (ए) के प्रावधान के तहत क्षतिपूर्ति की राशि प्रदान करना न्यायोचित था, जहां चालक या मृतक की ओर से लापरवाही को ध्यान में नहीं रखा जाना है।

11. मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तथा दावा न्यायाधिकरण के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

12. अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि घटना की तिथि को अपीलकर्ता ने अपनी मोटरसाइकिल घर पर छोड़ दी थी तथा अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल चला गया था तथा उसने अपनी मोटरसाइकिल की चाबी ऊंचाई पर रख दी थी।उसका नाबालिग पुत्र– जोंकस लकरा अपने मित्रो के साथ घर आया तथा अपने दोस्तों अतुल तिर्की और डीन जस्टिन केरकेट्टा के आग्रह पर उसने उसकी सहमति या अनुमति के बिना मोटरसाइकिल की चाबी ले ली तथा दुर्घटना का शिकार हो गया।

13. अभिलेख पर प्रस्तुत तर्क और साक्ष्यों से पता चलता है कि यह बस और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर का मामला है और दुर्घटना के समय मृतक– जोंकस लकरा मोटरसाइकिल चला रहा था, उक्त मोटरसाइकिल दो अन्य सवारों– अतुल तिर्की और डीन जस्टिन केरकेट्टा के साथ अनधिकृत सवार की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163–ए– संरचित सूत्र के आधार पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में विशेष प्रावधान:

(1) इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि या विधि का बल रखने वाले किसी उपकरण में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसी भी स्थिति हो, प्रतिकर देने के लिए दायी होगा।

व्याख्याः

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी विकलांगता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

(ii) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के किसी दावे में, दावेदार को यह तर्क देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जिस मृत्यु या स्थायी विकलांगता के संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या चूक के कारण हुई है।

(iii) केन्द्रीय सरकार जीवन–यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय–समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकती है।"

15. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163–ए के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के सभी प्रावधानों पर स्वतंत्र तथा अधिभावी प्रभाव रखता है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163–ए के तहत उठाए गए क्षतिपूर्ति के दावे में, आक्षेपित वाहन के तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं है।यह लापरवाही के सबूत की आवश्यकता के बिना, "वाहन के उपयोग से उत्पन्न" संरचित सूत्र के आधार पर है।

16. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि दुर्घटना की तारीख को, बस जिसका पंजीकरण संख्या CG-15-AB-0311 है, बीमाकर्ता–यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमाकृत थी, इसलिए, क्षतिपूर्ति की पूरी राशि बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाएगी।

17. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, वर्तमान मामले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163–ए के तहत दायर किए गए हैं, इसलिए मृतक का कानूनी प्रतिनिधि दोषी वाहन–बस की बीमा कंपनी से संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। न्यायाधिकरण ने वर्तमान अपीलकर्ता पर क्षतिपूर्ति की राशि का 50% तक दायित्व तय करने में गलती की है, जो विधि के विपरीत होने के कारण मान्य योग्य नहीं है, इसलिए आक्षेपित निर्णय को अपास्त कर दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं और प्रत्येक मामले में मुआवजे की पूरी राशि बीमा कंपनी (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी। ब्याज और शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

19. तदनुसार, वर्तमान अपील का निराकरण किया जाता है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur